

आदेश

सं० सं०-4/ए2-24/2012 - 135(4) पटना, दिनांक- 5/2/2015

निदेशालय स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-157(4) दिनांक-14.02.2014 द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज पटना में प्रतिनियुक्त सर्वश्री सोमेन्द्र नाथ बनर्जी लिपिक नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना एवं श्री सुनिल कुमार लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर तथा निदेशालय स्वास्थ्य सेवायें, बिहार के आदेश ज्ञापांक-204(4) दिनांक-03.03.2014 द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में प्रतिनियुक्त सर्वश्री अजय उप्पल लिपिक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहेरियासराय दरभंगा एवं श्री धर्मेन्द्र मोहन, लिपिक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर की प्रतिनियुक्ति अवधि को अगले आदेश तक विस्तारित की जाती है।

2. तदनुसार अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1306 दिनांक-02.02.2015 को निरस्त किया जाता है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

  
(डॉ० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख,


स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

ज्ञापांक-4/ए2-24/2012 - 135(4) /पटना, दिनांक- 5/2/2015

प्रतिलिपि-प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना/प्राचार्य, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना/प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहेरियासराय/अधीक्षक श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना/अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी पटना/दरभंगा/भागलपुर/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख के निजी सहायक/प्रशाखा-04 स्वास्थ्य विभाग, बिहार एवं संबंधित कर्मी को सूचनार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।